## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः सं. वि.सं. 17/Exam/Agri. Deptt./RPSC/EP-I/2024-25

बिमांग के लिए पद क्रम संख्या 01, 02 एवं 10 से 14 तक के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र हेतु कृषि सेवा नियम, 1960 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती हैं)

	ġ.	t (s)	H	T	(UR	,		3.	.C.			S	5.T.			0.1	3.C.			M.	M.B.C.				W.
0	Post S.	No. of Post (s)	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	^	GEN.	GEN. WE	0	,	N.	N WE	
1	Assistant Agriculture Officer (NSA)	115	28	8	3	1	14	3	02	-	-	-		-	+ +		=	DV	3	3	WD	DA	GEN.	CEN	3
	Horizontal Reservation: - 1, E	x. Ser. –	(Gen.	/LIB -C	5 50	-02. 5	T. 01	ODG			10	3	1	1	18	4	2	1	3	1	1	0	8	2	-
2	Assistant Agriculture	H (i) E	3/LV-(	01, (ii	) D.,	Н.Н	02 (ii	i) LD	/CP &	Other	rs-01	, (iv)	(a) I.I	D.,M	1.I. S	L.D	Antic	m &	(b) M	nl IX					
7.1	Officer (SA)	1.0	2	0	U	0	2	0	0	0	4	2	0	0							licab			+	-
Н	orizontal Reservation:- 1- E	x. Ser.	- Gen	/UR	0, SC	2-0, 5	ST-0								-		_	-							_
3	Statistical Officer	P.H. (i)	6	2	11) H.	0	2	LD/C	0 P&	Ors	0 (iv	v) (a)	I.D.,	M.	I., S.	L.D. 6	& Au	tism	(b) I	Mul.	Dis.	-0			
Н	nizontal Reservation: - 1. Ex. S.	er – (Ge	n /ITD	-0 50	10 0	TAC	DO		-	9	-	0	V	U	4	1	0	0	1	0	0	n l	1	0	I
4	Agriculture Research	(1) B/L	V-01(I	3ackle	og yea	r 201	5-16)	, (ii)	D., H.	H 0	(iii)	LD/C	P & C	Other	rs-0, (	iv) (a)	I.D.,	M.I.,	S.L.I	D. At	ıtism	& (h	) Mul	Die	Į,
Ho	Officer (Agronomy) orizontal Reservation:- 1, Ex. Se	r (Co	U J	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1				0 (		- 1	0	0	0	T
-		(i) B/L\	II./∪R. /-0, (i	-0, SC ii) D.,	-0, S	Γ-0, C · 0 (iii	BC-0 ) LD/	, MB CP &	C-0, E	WS-(	)) v) (e	ALD	MI		-	_			_	-	-				
5	Agriculture Research Officer (Agriculture		0	0			-						,1V1.1.,	S.L.	.D, A	utism	& (b)	Mul	.Dis.	- 0	-	_		-4	_
Ho	Botany)		.	~	-	~		0		0 0		0	0	0	1	0	0	0	0 (	)	0	0	1	0	
2.10	rizontal Reservation:- 1. Ex. Se 2. P.H (	r. – (Ger i) <b>B/LV</b>	1./UR- /-01 (1	0, SC Backle	-0, ST	-0, O	BC-0,	MBO	C-0, E	WS-0	)							_			_				L
	2. P.H ( Agriculture Research Officer (Plant Pathology)	2	0	0	0	0	0	0	D., H.	H 0	(111)	LD/C	P&0	Other	rs-0, (	iv) (a)	I.D.,	M.I.,	S.L.I	D, At	itism	& (b	) Mul	.Dis.	-
Hor	rizontal Reservation:- 1. Ex. Ser	r – (Gen	/LIR	0.80	O CT	0 0	200		0   (	) 1		) (	) (	)	0	) (	) (	) (	0 0	) (		0	1	0	(
T	2. P.H (	i) B/LV	-0, (ii	) D., 1	H.H	0 (iii)	LD/C	P &(	Others	-0, (iv	) (a)	I.D.,1	M.I	S.L.1	D An	tiem !	(h)	Mad	Die	0					
												) (			1 (						T	)	. T	. 1	_
101	izontal Reservation:- 1. Ex. Ser	(Gen.	/UR-(	, SC-	0, ST	0, OE	3C-0,	MBC	-0, EV	VS-0)			-								, [	,	1	0	C
	2. P.H (i	, ,,,	-0, (II	) D., I	1.11	9 (111)	LD/C	P &C	others-	0, (iv	) (a)	I.D.,N	M.I., 5	S.L.I	), Au	tism &	(b) 1	Mul.I	Dis	0					
	Officer (Agriculture Chemistry)	9 3		0	1 0		1				0	0	0	(	0 0	0	0	1	0	0	0		1	0	0
Iori	zontal Reservation:- 1. Ex. Ser.	- (Gen.	/UR-0	, SC-	), ST-	0, OB	C-0, 1	MBC	-0, EW	VS-0)	1		Щ.		4			1		1					U
T	Agriculture Research	2 0	U, (II)	D., E	I.H (	(111)	LD/C	P.&O	thers-	0, (iv)	(a)	I.D.,N	4.I., S	L.E	, Aut	ism &	(b) N	/ul.I	Dis	0					
lori	Officer (Horticulture) zontal Reservation:- 1. Ex. Ser.	- 0	10	1 0	- 0	1 ()	1 0	1 0	1 0	1 1	0	0	0		0		0	0	0	0	0	1	) (	0	0
_		B/LV-	0, (ii)	D., H	.H 0	(iii) l	LD/CI	MBC-	0, EW	/S-0) ), (iv)	(a) 1	ED N	11 8	LD	Α	0	400			-	-				-
	Assistant Agriculture Research Officer	11 3	1				0	- 1	- 1					T	, Aut	ISIM &	(b) N	1ul.L	)IS (	)	-	_	_	_	
oriz	(Agronomy)		1 ^			-		0	39	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	.   (	0
	contal Reservation:- 1. Ex. Ser. 2. P.H (i) Assistant Agriculture	- (Gen./ B/LV-0.	UR-0, , (ii) I	SC-0 D., H.1	, ST-0 H 01	OB(	C-0, N	ABC-	0, EW	S-0)	7-5											_			-
R	escarch Officer (Rotony)	0. 1 2	1 0		1 ()	1 1	1 (1)	1 0	10	1 1	(a) .	I.D.,N	0								_	_	_	-	_
oriz	ontal Reservation: - 1. Ex. Ser -	- (Gen./l	UR-0,	SC-0,	ST-0	, OBC	2-0. N	IBC-(	) FW	S-0)		10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0
	Assistant Agriculture	B/LV-0	, (ii) l	D., H.	H 0	(iii) L	D/CP	&Ot	hers-0	, (iv)	(a) I.	D.,M.	I., S.	L.D,	Autis	sm &	(b) M	ul.Di	s 0						
ŀ	Research Officer (Plant Pathology)	5 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0			Ι.	Τ.	T	T
rizo	ontal Reservation:- 1. Ex. Ser -	- (Gen./L	JR-0,	SC-0,	ST-0.	OBC	-0 M	BC-0	FWS	(0.5	_					_				0	0	1	0	0	1
<i>:</i> :-	2. P.H (i) - अनुसूचित जनजाति का कुल	B/LV-0, 01 ਧਰ ਰ	(ii) I	D., H.I	I 0 (	iii) L	D/CP	&Oth	ners-0,	(iv) (	a) I.	D.,M.	I., S.I	D,	Autis	m & (	b) Mi	ul Di	s - 0		7	7			
9	Assistant Agriculture		14 20	10-19	do!	मता व	े बक	लाग	का है,	जिसे	अब	भरे र	नाने हे	तु प्र	थम व	गर अ	प्रनीत	किय	ा जा	रहा	है।				
	(Entomology)	2 3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	T
rizo	ontal Reservation: - 1. Ex. Ser	(Gen./U	R-0, 5	SC-0,	ST-0,	OBC	-0, M	BC-0.	EWS	-0)											V	U	1		
_	Assistant Agriculture	B/LV-0,	(ii) D	)., H.F	10(	iii) LI	O/CP	&Oth	ers-0,	(iv) (	a) I.I	D.,M.1	., S.L	.D,	Autisi	n & (	o) Mu	ıl.Dis	0						
(A	Research Officer 4	0 11	2	2	0	4	2	0	0	3	1	1	0	5	2	1	0	2	0	0	0				T
izo	ntal Reservation: - 1. Ex. Ser	(Gen./U	R-02 (	01 Ba	cklos	), SC	-01 (F	lackle	10) 57	C-01 6	Dest			F1 /			- 1		0	0	0	3	1	0	
ore	Vianons I sed. GENI Com-	TTT.	**			_			OLO I	2) (111	1 1	"CFC	e Oun	ers-u	(IV)	(3) II	) AA I	CI	T)	Land Same	n 9. 1	b) a	ful D:		
sses																									
rfis	m. acid attack victims and much	Hard of	Heari	ng, H	.I H	earing	Impa	airme	nt, LE	O/CP	& 0	thers -	- Loc												
	g Disability, Mul.Dis Multipl – एकाधिक दिव्यांगता (Multipl (ब) की अनिवार्यता के साथ (स)																								
	– एकाधिक दिव्यागता (Multiple (ब) की अनिवार्यता के साथ (स																								

विशेष नोट :-

(1) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में मरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाम देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि

अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

टिप्पणी:— यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें।

- 1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध न होने का दशा न उनके लिए इस प्रकार आरावत रावताया का परमात्वता तान नेता प्रवा के लिए अप्रनात किया जारेगा। तान नेता प्रवा के समाप्ति के प्रश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- 2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिवित्तयों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिवित्तयों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या **इसके विपरीत (Vice** Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अन्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
- 4. विशेष योग्यजन / निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यापगत हो जायेंगी।
- 6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाम देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती हैं तो उसे public employment में एससी / एसटी / ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- 8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। टिप्पणी:-"बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं -

पद क्रम संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1 एवं 2	B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) from university
3	IInd Class Post Graduate Degrae is Most with will be stablished by law in India.
	IInd Class Post Graduate Degree in Maths with Statistics or IInd Class M.Sc. (Agri.) with special subject in Statistics or M.Sc. (Agri.) with special subject in Statistics or M.Sc.
4	Ind Class M.S. (Agri) with Agreement of Maria
5	IInd Class M.Sc. (Agri.) with Agronomy of a University established by law in India.
6	IInd Class M.Sc. (Agri.) in Botany or II Class M.Sc. (Botany) with Plant breeding of a University established by law in India  IInd Class M.Sc. (Botany) with specialization in Plant Pathology OP Und Class M.Sc. (Botany) with specialization in Plant Pathology OP Und Class M.Sc.
	IInd Class M.Sc. (Botany) with Specialization in Plant Pathology OR IInd Class M.Sc. (Agri.) in Plant Pathology of a University established by law in India.
7	Ind Class M Sc. (Agri) with Potent
	IInd Class M.Sc. (Agri.) with Entomology or IInd Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a University of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of the Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology
8	II Class M.Sc. Chemistry of II Class M.Sc. (April Ch. C. 116)
9	II Class M.Sc. Chemistry or II Class M.Sc. (Agri.) Chem. or Soil Science of a University established by law in India.  IInd Class M.Sc. (Agri.) with Horticulture of a University established by law in India.
10	
11	IInd Class M.Sc. (Ag.) with Agronomy of a University established by law in India.  IInd Class M.Sc. (Ag.) Return or Hard Class M.Sc.
12	Ind Class M.Sc. (Ag.) Botany or Ind Class M.Sc. (Ag.) in Plant Pathology or Ind Class M.Sc. (Ag.) in Plant Pathology or Ind Class M.Sc. (Ag.) in Plant Pathology or Ind Class M.Sc. (Bettern) of a University established by law in India.
	Ind Class M.Sc. (Ag.) in Plant Pathology or Ind Class M.Sc. (Botany) with specialization in Plant Pathology of a University established by law in India.
13	Hind Class M So (As ) with The
	IInd Class M.Sc. (Ag.) with Entomology or IInd Class M.Sc. (Zoology) with specialization in Entomology of a Universit established by law in India.
14	IInd Class M.Sc. (Ag.) Chemistry/Soil Science of a University established by law in India.
i) सभी पदों के वि	Working knowledge of Hindi written in Devnagari Soriest and Low Albert

(ii) सभी पर्दों के लिए:- Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthan Culture.

Note: 1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुमव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर उन्हें आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हता	जन पूर्व के किया जिस्सा परावाजा स । विवाजत (Debar) किया जायेगा।
Timb word	अपत पदा को अपक्षित शक्षाणक अहंता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में समिमिलत हो चका है या स्थितिह के कर के
संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हत के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के पूर्व शैक्षणिक सर्वेत्र समिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के
वेतन पे-मैट्रिक्स	लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।  पद क्रम संख्या 1 से 2 तक के लिए – पे–मैट्रिक्स लेवल L-11
लेवल	
*****	पद क्रम संख्या 3 से 9 तक के लिए — पे—मैट्रिक्स लेवल L-14
	पद क्रम संख्या 10 से 14 तक के लिए – पे—मैटिक्स नेतन 1.13
	नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मिसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	पद क्रम संख्या 1 से 2 एवं 10 से 14 तक के लिए – दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।
3	निया राज्या । त २ ९व १० से १४ तक के लिए — दिनाक 01.01.2025 को न्युनतम् १८ वर्ष एवं अधिकतम् ४० वर्ष से क्या
	पद क्रम संख्या 3 से 9 के लिए — दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।
	नोट :- पद क्रम संख्या 1 से 2 आयोग द्वारा वर्ष 2021 में, पद क्रम संख्या 3 एवं 5 के लिए क्रमशः वर्ष 2016 एवं 2015 में एवं पद क्रम संख्या 4 एवं 6
	से 14 तक के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। तत्पश्चात् उत्तर उत्तर वर्ष 2016 एवं 2015 में एवं पद क्रम संख्या 4 एवं 6 अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2025 को अधिकाय के होते हैं उन्हें संबंधित मेरा रिक्रा किया गया। अतः जो
	अन्यथा दिनीक 01.01.2025 को अधिकाय के होते हैं. उन्हें संबंधित सेवा नियमों में विकित प्राप्त की किया गया। अर्तः जी
	अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2025 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार पद क्रम संख्या 1 से 2 के लिए
	उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष, क्रम संख्या 3 एवं 5 के लिए तीन वर्ष एवं पद क्रम संख्या 4 एवं 6 से 14 तक के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

क्र.	विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रा अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया	वधान
सं.	अन्य का पन एप अन्य ।वाशक्य आण्या	अधिकतम आयु में देय
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष	छूट
	Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes	5 वर्ष
	Sackward Classes, Wore Backward Classes	Five Years

	and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	
2.	साव Zeonomican) weaker Sections of Rajasthan State	
		10 वर्ष
- / -	Woman Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Cand Economically Weaker Sections of Rajasthan State	Classes Ten Years
3.		Ten Tears
	Woman Candidates belonging to General Category	5 वर्ष
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिला	Five Years
"	Widow and divorcee Woman	अधिकतम आयु सीमा नर्ह
	Explanation : In osea of widow at the	No Upper age limit
	Explanation: In case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Compe	tent No Opper age limit
5.	भूतपूर्व कैदी जो दिण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।	िके तहत नियक्ति के योग्य भा ने
	That the unper age limit mentioned about shall	3, 4, 4, 4, 4, 4,
	That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules	e Government on a substantive
6.	basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में क	on a substantive
1-4	बराबर छट होगी।	ारावास में व्यतीत की गई अवधि के
	That in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the by him provided he was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the Polynomia.	
	by him provided he was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	e term of imprisonment served
7	केंड्रेट अनुदेशकों के मामले में उपविवर्णित उपने अपन के नार्व के नार्व कि मामले में उपविवर्णित उपने अपने के नार्व के नार	
	कैंडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैंडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की व यदि परिणामिक आयु विहित्त अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जार	कालावधि को शिथिल किया जायेगा
1	That the upper age limit mentioned above shall be and the transfer of the tra	येगा ।
100	That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the within the prescribed age limit.	e N.C.C. in the case of Cadet
	within the prescribed age limit by more than three year	rs, they shall be deemed to be
8	इस सेवा के किसी पट पर अस्थार्ट निगलन व्यक्ति गरि एक्टिक किस	
	आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही सम That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be the	झा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष
Hi-	That the persons appointed temporarily to a past in the G	दय जायगे।
	when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	they been within the age limit
	allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	the Commission and shall be
9		
10.0		
	substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive expectations of the capacity of the commission of the capacity of the cap	th the affairs of the State in
-	filled in through the Commission by interview.	caminations or in case of posts
10	िनमुक्त आपात कमीशन पाप्त अधिकारियों को एवं उस सेना उत्तर कर कि वर्ष	
	सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि र	भायांग के समक्ष उपस्थित हो, आयु
	That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release fro be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commissioned Officers after release from the commission of	ત પાત્ર થા
	to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission, I at the time of their joining the Commission in the Army.	om the Army shall be deemed
44	at the time of their joining the Commission in the Army.	and they been eligible as such
11	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।	TH 7 7 1 1 6
	अधिकतम् आयु सामा ४० वर्षे होगी।	रूप स सवास्त व्यक्तिया क लिए
	That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Pari Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years	isheds and in the Green Paris
12	Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	shads and in the State Public
12	रिजापरेटा अथात रही सेवी कामिका जिनका जिनके में उधानान्त्रजिन किया गाम कर ने कि	3 से 0 के लिए।
13	Provided that the upper age limit for the reservists, namely defence Service Personnel transferred to the reserve, sha कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पर्वी अफीकी हेणों से स्वर्थम प्रकार कि किया है कि कि किया है कि किया है कि	all he 50 years
13	कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होर्ग के लिए)	ी। (पट कमं 1 में 2 एवं 40 में 44
	That there shall be no one limit in the	1 (14 30.00 1 01 2 94 10 41 14
14	That there shall be no age limit in the case of persons repatriated from East African countries of Kenya, Tanganyika सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तिगर्ध के मध्य में कोई अपन की पाक स्वार्थ के साम के कोई अपन की पाक साम की पाक	L Uganda and Zanzibar
	सन् 1971 में हुए मारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। (	पद क्र.सं. 1 से 2 एवं 10 से 14 के
	That there shall be no age limit in case of persons repetricted from D.L.	
15	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार पद क्रम संख्या 3 से 9 तक के लिए भूतपूर्व सैनिकों के छूट देय होगी तथा पद क्रम संख्या 1 से 2 एवं 10 से 14 के लिए 15 वर्ष की पर देय होगी पर कर के लिए भूतपूर्व सैनिकों के	
- 1	छूट देय होगी तथा पद क्रम संख्या 1 से 2 एवं 10 से 14 के लिए 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीक 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लाग होगी किन्तु सीधी भर्ती की दूरण में उन्हों नियमों के अधीन शिथिलीक	ो ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की
	50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आय सीमा 50 वर्ष लाग होगी किन्न सीकी कर्म के जान निवास के अधीन शिरायलीक	रण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु
	अधिकतम उपरी आयु सीमा लाग होगी।	भव अनिवाय है वहां 55 वर्ष की
- 1	According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Evansion	
	servicemen for Post S.no. 3 to 9 and 15 years for Post S.no. 1 to 2 and S.no. 10 to 14; Provided that if permissible at rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in	nit shall be 10 years for Ex-
	rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct re of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.	ge after relaxation under this
	of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable but in case of direct re	cruitment, where experience
		a) Ann son rominto -
	प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है	ग गयम, १९८८ यथासशाधित क
16	होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्राथिलती अन्य लोक सेवको/अर्घार्थियों को देय है राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार नियम में हितकर है कि उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	, उर रुपारून सामक का मा दय
		कट हेम होती।
		Il he releved by 05 warm 6
नोटः ।	persons with benchmarks disabilities.	if be relaxed by 03 years for
ਜ਼ਹਿ.— । ਵੀ ਸਵੀ	विभिन्न वर्गो/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से व हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।	कम / तक की आग सीमा में फर
नोट -	ठा, स्पतः हा निभ्रमावा मान जीयग्	मार्र तक का जाबु साना न छूट
31	पर्युक्त वर्णित क्र.सं. १ से १५ तक के आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त व धिकतम आयु सीमा में छूट का लाम दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छह हा जाए जी किस	ार्णित किसी भी एक पावषाच का
2. <b>विः</b>	धिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। शेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देग एक है उपार्वक कि कार्यकानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	The same of the state of
	शेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 15 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या कार्यात्र कि प्रज्ञात् विन्दु संख्या कि प्रज्ञात् कि प्रज्ञात् विन्दु संख्या कि से प्रज्ञात् कि प्रज्ञात् विन्दु संख्या कि प्रज्ञात्र कि प्रज्ञात्य कि प्रज्ञात्य कि प्रज्ञात्य कि प्रज्ञात्य कि प्रज्ञात्	थ्या 16 में उल्लिखित पावधान के
s. का	अंतर कर्ता वह पर होता।	3,441,42
अंत	र्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षी तर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुक्क के अविधिक्त पत्रको नेम किसी अपराधी व	तिज (Horizontal) आरक्षण के
आ	तर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आर् दि) का लाम लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	युसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस
. राच	जस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्माता सेवारी हैन जेना नियम के आता विवासित नहीं किया जायेगा।	
होन	जस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी : नी चाहिए।	की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं
आः	यु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अ	
	अकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अ	कित प्रावधान ही मान्य होंगे।
1.50		
ायन प्रक्रि	क्रेया अभ्यर्थियों का चयन निष्युत् एपीशा के प्राप्त के विकरण	
		'उत्तरपुस्तिका के मुल्यांकन में
	स्कैलिंग/ मोडरेशन/ नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम नियम्ति प्राधिकारी को अमुसार किया नियम के अनुसार व	आयोग द्वारा उपयक्त पाये गए
रीक्षा	अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेगें जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। का स्थान परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
वं माह		
	योजना व उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के अवस्थिए प्रशिक्ष विकास प्रशिक्ष के उस्त में अवस्थित के	
	<b>योजना व</b> उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के अनुसार परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम	में विहित पावधान के अनुमार

पाठ्यक्रम	लिखित परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। परीक्षा	
	विस्तृत पाउ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक् से जारी किया जाएगा।	रोक्षा क
आवेदन अवधि	दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 19.11.2024 राजि 12.00 वर्षे वर्ष	
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नि अभ्यर्थी न आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों विशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन पर्व अन्यर्थियों व	यम क के लिए
	ां शिक्ष ने अपने करने के लिए अन्याथयों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply onlin को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उहित अम्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंर डी. में से किसी एक आई.डी. पूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।  3. जिन अम्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अम्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Class कि अम्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/र परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/वोटर कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना होंगा। अतः OTR करने से पर्व अधार (अपना किया) जाना	उपलब्ध १) करने म आई. itizen समकक्ष मिकक्ष
	संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म मरने की कार्यवाही करें।  Note: ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लि अधिक पुरानी है तो ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में तुर्विष्ट तथा फोटो को अपनेट कर लें ताकि सही सचना अ	वश्यक ांग को उससे ग्रावेदन
	5. अभ्यथी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यथी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व Live फोटो का Preview देखकर फोटो की सनिश्चितना करने हुए ग्रॉडिंग्यून प्राप्तिक करेगा। अभ्यथी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व	अपने
	आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगुठा निशानी भी लगाई जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अविध के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगुठा निशानी भी लगाई जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अविध के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आयें। अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सविधा पाप्त करने के दियों आये अपने के स्वर्ध अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सविधा पाप्त करने के स्वर्ध आये।	
	करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।  अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक पर अंकित करें। यदि ऐसी पूर्व में अर्जित की जो चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव की आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिर्धि जोड़े जा सकेंगे।	तौर
	0. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Applica) No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आ	tion वेदन
	<ol> <li>आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Num</li> </ol>	nber
	<ol> <li>आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने / तथ्य छुपाने पर आ अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।</li> </ol>	योग
	<ol> <li>राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग /अित पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिन्न राज्यों की अनुसू जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /अित पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</li> <li>अभ्यर्थी ऑनजाईन आवेदन पत्र भरने के प्रशास व्यावेदन अपने कर करना होगा।</li> </ol>	चित िके
	<ol> <li>अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें।</li> <li>अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवें।</li> <li>आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर Exam Dashboard को समयान्तर्गत निरन्तर अवलोकन करें क्यं किया जाता है।</li> </ol>	ोंकि नहीं
	. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनला या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाईन पत्राचार स्वीकार नहीं वि जायेगा।	

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :— ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- 1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/— का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का
- 2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।

Note: विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित DV डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी।

- One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन
- 4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।

- 5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/— रूपये निर्धारित है। 6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा। 7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाईन/ऑनलाईन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकबारीय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

सामान्य (अनारक्षित) / पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / सहरिया क्षेत्र) के अभ्यर्थी -

रूपये 600 / -

रूपये 400 /-

दिव्यांगजन -

रूपये 400 / -

नोट :-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
  - जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपर्युक्तानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुक्क जमा करवावें।

# Scheme of examination and syllabus for the post of Assistant Agriculture Officer, Statistical officer, Agriculture Research Officer (Various Subjects) and Assistant Agriculture Research Officer (Various Subjects)

S. No.		Sameer (various)								
	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration						
Part-A*	General Knowledge of Rajasthan	40	40							
Part-B*	Concerned Subject* (as prescribed in qualification)	110	110	2 Hours & 30 Minutes						
tailed C	Total	150	150	2. Indices						

Note: -\*The detailed Syllabus will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the

1. The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.

2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.

Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: - Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

Syllabus and Scope of Papers: - The Scheme & Syllabus of written examination shall be such as may be decided by

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:–

Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the It is mandatory to fill one option for each question.

If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

# 5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified. विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अम्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:--

- अम्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए वह पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को **परीक्षा दिनांक से कम एक दिवस पूर्व** दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी
- ऐसं दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो आयोग / केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाघित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता–Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अन्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
- श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का अवलोकन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी निर्देशों को विज्ञापन का ही

### अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने
- अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें 3. कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अम्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई—मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई–मित्र निर्धा जाएगा एवं एता किता ना शुरू का राज्यून बायक रवय अन्यया का ठाना। जाय व जाववक या वट ना विवास वा जाता व कि अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन–पत्र सही–सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर रौनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी / मंत्रालियक कर्मचारी / विभागीय कर्मचारी / अन्य वर्ग के अम्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से कर्मचारी / गैर राजपत्रित उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाम विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग / श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र / दस्तावेज (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का / तक का बना होना चाहिए) यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा



अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश द्विया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग / विमाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **ऑनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र भरना** होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/मूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विख्णिल जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/पिरत्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं

भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्धारित समयाविध के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयाविध के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का ऑनलाईन/ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन

01.11.2017 क अनुसार आनलाइन आवदन पत्र आरों का आरोंन विचान विकार निर्माण कि अवस्था निर्माण विचान राखा/ राखार्थार के जातन बारनान राजूब पर बारवारा के लिए जावबरा करना छाना जिसके लिए उस विवास छा आबार—काल, नृत्यु प्रनाण—पत्र, लिक वस्तावज (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्ताता प्रमाण—पत्र मय 500/— रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाम आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाम प्रदान किया जाएगा। (भाननाथ राजस्थान उच्च न्यायालय, जाधपुर म DBSA No. /2/2022 क ानणयानुसार) प्रश्तुत करन पर हा आरवाण का लाम प्रदान किया जाएगा। प्रित्यक्ता/तलाकशुदा/विवाह विच्छिन्न आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा

विध्वा के द्वारा वर्ग / श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग / श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड / मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही

आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थियों को ई—प्रवेश—पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा विशा—निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्रशन-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपमोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यदि किसी अभ्यर्थी / परीक्षार्थी को आयोग / संघ लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती / परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग / उपमोग या अनुचित / अमद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं / साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं / साक्षात्कार में

सम्मिलित होने की अनुमित प्रदान नहीं की जायेगी।

राज्य कर्मचारी को देय लाम यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

अभोवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/पिरत्यक्ता /विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

ा अतः पात्रता का जाय हतु निम्नालाखत दस्तावज प्रस्तुत करना सुानारयत कर लिया जाव :— कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण—पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यार्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये

पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाम देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर

आधिक रूप से कमजीर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यथा एव उसक ।पता क नाम को दशाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक योग्यता /अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक /परीक्षा दिनांक /साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पत्र के तम भी सल पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाम देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यकता / तलाकशुदा / विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जीधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता / विवाह विच्छिन्न / तलाकशुदा श्रेणी / वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान — कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रही / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी, किन्तु पूदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व



सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुवित प्राधिकारी पदग्रहण कालाविध को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माँह की किसी कालाविध के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुजात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापित्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अविध की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् प्रातुष्धान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रारिथित समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के परचात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की प्रास्थित समाप हो जावना। राजस्थान रास्कार के अधान नियाजन प्रहण करने के परवात किसी की एक स्तावल कमयारा माना जायना। परन्तु साधा मता का दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख—वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र / वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक / संविदा / अस्थायी / तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को स्वार्थ सेनिकों को स्वार्थ सेनिकों को ही देय है।"

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

कराया जाना आनावाय किया गया है। तत्सान्वन्धा विपाह अगाण-पत्र वथा समय अस्तुस करणा पाठणाव वाणा।

10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चें/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यागन उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी आवंदक के पूर्वत्तर प्रसव से कवल एक बच्चा/सन्तान हैं, किन्तु किसी एक पश्चात्वता प्रसव से एक से अधिक बच्चं/सन्ताने पैदा होती हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवंदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हों, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निर्सित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विध्या एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बांछनीय होगा। 11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12 विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम ''अच्छा'' का उल्लेख/अंकित

14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि

आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से

अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना / अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-अम्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन—पत्र मरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन—पत्र रदद कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन—पत्र रदद कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन—पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना—पत्र/अनलाईन प्रार्थना—पत्र/पत्र—व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अस्थार्थ की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के परचात् अस्थाई अविना-पत्र/ पत्र-व्यवहार इत्साव रचाकार गृहा किया जाएगा। कूक जायग क्षारा जाववा का पत्रिता का जाव राजावत गृहा कर रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में मरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में मरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रदद करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्त्रोत वहां वह उर्देशकाच है कि आवार द्वारा उपराचित्राचा ने विश्वापत पर क्यु तमस्त स्थात उपराचुतार स्थल का जा चुका है अगर किर ना आवषक / श्रान्य रक्षात द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती / त्युटि / लोप / अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन / विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज / निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमैर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरमाष सं.— 0145—2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमैर को सम्बोधित किया जाए।